विधि मन्त्रालय में राजभाषा के प्रयोग में की गई प्रगति

996. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा अधिनियम को दृष्टि मे रखते हुए उनके मन्त्रालय के विभिन्न विभागो मे हिन्दी के प्रयोग मे कितनी प्रगति हुई है ,

(ख) क्या उनके मन्त्रालय मे कार्यान्वयन समिति अपने लक्ष्य मे असफल रही है और समिति का कार्य भी अग्रेजी भाषा मे किया जा रहा है ;

(ग) क्या विधि कार्य विभाग मे राजभाषा अधिनियम के प्रावधानो का लगातार उल्लघन हो रहा है ,

(घ) क्या विधि कार्य विभाग मे कोई हिन्दी अनुभाग है अथवा कोई कर्मचारी हिन्दी का कार्य करता है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है , और

(ङ) उनके मन्त्रालय मे हिन्दी का उत्तरोत्तर बढाकर प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) (क) सघ सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य का बदलाव अग्रेजी से हिन्दी मे करनी की नीति के अनुसरण मे, यथा सम्भव, भारतीय भाषाओ मे प्रयोग के लिए मानक विधि शब्दावली तैयार करने और हिन्दी मे कानूनो के अनुवाद से सबधित सम्पूर्ण कार्य के समुचित आयोजन और क्रियान्वयन के लिए विधि-विशेषज्ञो का एक स्थायी आयोग जिसे "राजभाषा (विधायी) आयोग" कहते है, सरकारी सकल्प सं० फा० 39/61-प्रशा० तारीख 8 जून, 1961 द्वारा जून, 1961 में गठित किया गया था । आयोग को सौंपे गए कार्य की विभिन्न मदों के संबंध में उसके द्वारा अब तक की गई प्रगति इस प्रकार है.—

(i) मानक विधि-शब्दो की एक शब्दावली जिसमे केन्द्रीय अधिनियमो के प्राधिकृत हिन्दी पाठो में आए लगभग 10,000 अग्रेजी शब्दो के आग्लभाषी पर्याय दिए गए है, तैयार और प्रकाशित कर दी गई है ;

(ii) 160 केन्द्रीय अधिनियमो के हिन्दी पाठ तैयार किए गए हैं । इन अधिनियमों मे से, 37 केन्द्रीय अधिनियमो के हिन्दी पाठ राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (क) के अधीन शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित कर दिए गए हैं । बाकी अधिनियमो के हिन्दी पाठ मुद्रित हो गये है और शीघ्र ही प्रकाशित कर दिए जाएगे । इसके अतिरिक्त 78 केन्द्रीय अधिनियमो के हिन्दी अनुवादो को अतिम रूप दे दिया गया है ,

(iii) 20 अध्यादेशो के भी हिन्दी पाठ आयोग द्वारा तैयार किए गए है । इनमे 12 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (क) के अधीन शासकीय राज-पत्र मे प्रकाशित कर दिए गए है ,

(iv) अभी तक आयोग द्वारा 227 कानूनी नियमो और आदेशो के हिन्दी अनुवादो को अन्तिम रूप दिया जा चुका है । इनमे से, 173 कानूनी नियमो, आदेशो आदि के हिन्दी अनुवादो को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन प्रकाशन के लिए मुद्रणालय भेजा जा चुका है । इसके अतिरिक्त

और 55 नियमों के हिन्दी अनुवाद, प्रकाशन के लिए मुद्रणालय को भेजे जाने के लिए तैयार है ;

(v) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) (iii) के अनुसरण में, 4142 कानूनी नियमों, आदेशों अधिसूचनाओं आदि के हिन्दी अनुवाद तैयार किए गए हैं और संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने के लिए विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को भेजे गए हैं ;

(vi) आयोग, 1963 से संसद में पुरः स्थापित सब मूल सरकारी विधेयकों के हिन्दी अनुवाद देता रहा है। संशोधक विधेयकों और साथ ही विधेयकों के सरकारी संशोधनों के हिन्दी अनुवाद भी आयोग द्वारा 1966 से दिये जाते है।

(vii) आयोग ने भारत के संविधान का हिन्दी में अनुवाद लगभग पूरा कर कर लिया है। उक्त अनुवाद इस समय विधि मन्त्रालय-हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप समिति के विचाराधीन है। उप-समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात इसे सलाहकार समिति के समक्ष रखा जायेगा ;

(viii) आयोग में एक समन्वय समिति भी है जिसमें हिंदी भाषी राज्यों के प्रतिनिधि है और जिसकी अध्यक्षता राजभाषा (विधायी) आयोग के अध्यक्ष करते हैं। उस समिति के कृत्य इस प्रकार है—

(1) विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों की विद्यमान विधियों के हिन्दी अनुवाद के लिए उन राज्यों में आरंभ किए गए कार्य का पुनरीक्षण करना ;

(2) हिंदी में एकरूप वाक्य रचना के विकास में प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित करना ;

(3) हिंदी में प्रारूप की एक रूप शैली के लिए आदर्श खण्ड बनाना और ऐसे कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उपायों पर विचार करना जो सम्यक् अनुक्रम में हिन्दी में मूल प्रारूपण का भार अपने ऊपर ले सकें। अभी तक समिति की 12 बैठकें हुई हैं। समिति द्वारा हिंदी में "मानक विधि-प्रारूपण खण्ड" तैयार किया गया है जिसका प्रकाशन आयोग द्वारा कराया जा चुका है।

(ख) जी नही, संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में गृह मन्त्रालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों का पूरी तरह से क्रियान्वयन कराने में विधि मन्त्रालय की राजभाषा क्रियान्वयन समिति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई हैं। समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से होती है। समिति के वे सदस्य जो विभिन्न मामलों के बारे में हिन्दी में विचार- विमर्श कर सकते हैं, ऐसा ही करते हैं जबकि वे सदस्य जो विभिन्न मामलों के बारे में हिंदी में विचार-विमर्श नहीं कर सकते, अंग्रेजी में विचार-विमर्श करते हैं। समिति के अधिवेशनों की कार्य सूची और कार्यवृत दो भाषाओं में तैयार किये जाते हैं और समिति के सदस्यों में परिचालित किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) विधि-कार्य विभाग का हिन्दी कार्य करने के लिए कोई अलग हिंदी अनुभाग या हिंदी अधिकारी नहीं है। विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) का हिंदी कार्य विधायी विभाग के अनुवाद अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग समूचे विधि मंत्रालय का हिंदी-कार्य करने के लिए एक केन्द्रीयकृत एकक है। इस कार्य के लिए

अनुभाग में पर्याप्त संख्या में अनुवादकों की व्यवस्था कर दी गई है ।

(ङ) विधि मंत्रालय का मुख्य कार्य भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मुकदमों की पैरवी करना और विधान का प्रारूपण है। इसलिए इन कार्यों में हिंदी के प्रयोग की अधिक गुंजाइश नहीं है ।

---

12 hrs.

CALL ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Recent Incidents of Robbery in trains in Bihar

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बिहार में 487-अप मुजफ्फरपुर-मोतीहारी रेलगाड़ी, आसनसोल-रांची रेलगाड़ी और गोरखपुर यात्री गाड़ी जैसी विभिन्न रेलगाड़ियों में डाकाजनी की हाल की घटनाओं के समाचार ।"

THE MINISTER OF RAILWAYS (RAIL MANTRI) (SHRI HANUMANTHAIYA) : Sir, there have been recently a few incidents of robbery in various trains in Bihar. Details of these are as under :—

(1) On 3-4-1971, Train No. 63 Up Asansol-Ranchi-Hatia Passenger left Mohuda at 22.50 hrs. and was stopped by the use of the alarm chain between Mohuda and Jamuniatand Stations. A group of Criminals numbering about 30-35 boarded the train, entered different III class compartments, attacked the passengers with b ombs and snatched away their personal belongings on the point of pistol, knives and other deadly weapons. They also looted parcels from the luggage van of the train. The train was escorted by 2 Government Railway Police Constables equipped with lathis. One of the Govt. Railway Police Constables sustained injuries while resisting the criminals.

Railway Protection Force Dog of Kharagpur Kennel was utilised in this ease on 5-4-1971, which led the Police to the houses of two accused persons. They were arrested on 6-4-1971 and on interrogation are reported to have admitted their complicity in this case. Subsequently 19 more suspects were arrested in this case. During raids conducted in the houses of accused persons, large quantities of stolen material were recovered. Besides, 3 country made pistols, 25 bombs, 15, 12 bore cartridges and some other weapons were also recovered. Five parcels were recovered from the bushes from near the place of occurrence.

Government Railway Police, Bhojudih registered a case under sectlon 395/412 IPC in this connection and their investigation still continues.

(2) On 14-5-1971 while Shri Brij Kishore Shrivastava S/o Shri Ram Chandra Prasad Shrivastava, of village Mirzapur Harpura, P. S. Sonepur, Distt. Chupra was travelling in a II class compartment of train No. 485 Up (Muzaffarpur-Narkatiaganj passenger train), he was attacked by 8 unknown persons equipped with pistol and daggers when the train was on run between Pipra and Jiwadhara Stations at about 22.00 hours. The miscreants snatched away his wrist watch, personal belonging and cash Rs. 51/—(in all property worth about Rs. 1,000/—) and escaped.

The complainant Shri Shrivastava reported this occurrence to the Government Railway Police/ Sugouli who registered a case under section 395 IPC. No recovery or